रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938
No. 300] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2016

फा.सं. इनफ्रा/एसी/पीपीपीएल/1/13. — पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण.

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों के सामान्य वाहक या संविदा वाहक के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों,

(क) "पहुंच व्यवस्था" का अर्थ है प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच वह संविदा दस्तावेज जिसमें विशेष रुप से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन तक पहुंच की निबंधन और शर्तों को परिभाषित किया गया हो और प्राधिकृत कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया हो;

(ख) "अधिनियम" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;

(ग) "नियत दिवस" का अर्थ है 01 अक्तूबर, 2007 का दिन, जबकि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने की अधिसूचना जारी की थी;

(घ) "बैच" का अर्थ है विनिर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद की एक मात्रा को एक चिन्हित इकाई के रूप में पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया गया;

(डं.) "बोर्ड" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006; के तहत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी);

(च) "क्षमता":

i. "बुक की गई क्षमता" का अर्थ है शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच पहुँच व्यवस्था के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम दैनिक मात्रा (एमडीक्यु) किसी भी दिन किसी कंपनी के किसी एक बिंदु पर पहुंचाई जाए या एक निकासी बिंदु तक ले जाया जाए।

ii. "अनुबंधित क्षमता" का अर्थ है दैनिक, मासिक या वार्षिक आधार पर पाइपलाइन प्रणाली के जरिए परिवहन हेतु अनुबंधित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा;

(छ) "अभिरक्षा हस्तांतरण मीटर" का अर्थ है ऐसे उपकरण या उपकरणों का समूह, जिनसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अभिरक्षा के हस्तांतरण के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा मापी जाती है;

(ज) "विवाद" का अर्थ है इन विनियमों या पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादों की विनिर्देशों से संबंधित या इनसे संबंधित कंपनियों के बीच उत्पन्न होने वाला विवाद या मतभेद;

(झ) "प्रवेश स्थल" का अर्थ है वह स्थल जहां पर शिपर द्वारा सुपुर्द किए गए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को पाइपलाइन में डाला जाता है;

(ञ) "निकासी स्थल" का अर्थ है वह स्थल जहां से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंच व्यवस्था के अनुसार शिपर को सुपुर्दगी के लिए पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन से निकाले जाते हैं;

(ट) "ग्रेड" का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का इसकी रासायनिक संरचना और विशेषताओं जैसे कि इसके अनुसंधान संख्या (रॉन), सल्फर सामग्री, एडिटिव सामग्री के रुप में उसके हिमांक बिंदू तथा उसकी मात्रा या अनुपात के वर्गीकरण से है;

(ठ) "ग्रेड बैंड" का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए न्यूनतम और अधिकतम स्वीकार्य संरचना, विशेषताओं, मात्रा या उसके अनुपात की सीमा;

(ड) "इंटरफेस" का अर्थ है वह मिश्रण जो कि सामान्य पाइपलाइन संचालन में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न विशिष्टियों वाले बैच में होता है;

(ढ) "ट्रांस्मिक्स" दो बैचों के बीच पहले या दूसरे उत्पाद के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है और पाइप लाइन प्रणाली से हटा दिया जाता है;

(ण) "अधिकतम दैनिक मात्रा" का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुबंधित, बुक्ड या दिन के चौबीस घंटे के भीतर सुपुर्दगी के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा;

(त) "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन" का अर्थ है कोई भी पाइपलाइन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु ब्रांच लाइन या स्पर लाइनें जिसमें पम्प मीटरिंग इकाइयां प्रारम्भिक सुपुर्दगी पर भंडारण सुविधाएं, टैप ऑफ बिंदु या टर्मिनल स्टेशनों और पाइपलाइन के परिचालन के लिए आवश्यक अनवशोषित इंटरफेस, संतुलन टैंक और टैंकेज, सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रुप में इससे जुड़े सभी बुनियादी ढ़ांचे में शामिल हैं परंतु उन पाइपलाइनों को छोड़कर जो कि विशिष्ट उपभोकताओं के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति हेतु समर्पित हैं जो कि बिक्री के लिए नही है।

बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर खुद का, भाड़े पर, आउटसोर्स या हॉस्पिटेबिलिटि प्रयोग से जुड़ी सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं उक्त प्रकार से जुड़ी सुविधाएं गैर-भेदभाव आधारित हों;

नोट: पहुंच के प्रयोजनार्थ, अधिकृत कंपनी द्वारा घोषित सुविधायें जो कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परियोजना पाइप लाइन प्रणाली के संचालन के लिए है को सामान्य वाहक या संविदा वाहक माना जाएगा;

(थ) "पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पाद पाइपलाइन खण्ड" का अर्थ है एक प्रवेश बिंदु और एक निकास बिंदु या दो निकास अंक के बीच या दो प्रवेश बिंदुओं के बीच पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का एक हिस्सा है;

(द) "शिपर" का अर्थ है वह कंपनी जिसमें उपभोक्ता भी शामिल हैं जो कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के संचरण के लिए पाइपलाइन की क्षमता का उपयोग करना चाहता है;

(ध) "संचरण हानि" (टीएल) का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की बेहिसाब वह मात्रा जिसमें पाइपलाइन प्रणाली के नियमित प्रचालन और रखरखाव के दौरान या अभिरक्षा मीटर के ठीक न होने के कारण रिसाव या रिलीज शामिल होता है; जिसके नुकसान की वजह का कारण कुछ भी हो,परंतु किसी भी तृतीय पक्ष के नुकसान की वजह से होने वाली न हो;

(न) "ट्रांसपोर्टर" का अर्थ है वह कंपनी जिसे बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की नियत तारीख से पूर्व प्राधिकृत किया गया हो;

IndiaCode

(प) "माप की इकाई" का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की इकाई का माप जिसमें एलपीजी को छोड़कर, किलोलीटर में 15 डिग्री सेल्सियस पर उत्पाद घनत्व के लिए परीक्षण और सामग्री तालिका 53बी के लिए अमेरिकन सोसायटी (एएसटीएम) के अनुसार सुधार किया जाएगा और 15 डिग्री सेल्सियस तक की मात्रा के लिए तालिका 54बी जैसा भी मामला हो मीट्रिक टन होगी। एलपीजी के लिए "माप की इकाई" मीट्रिक टन होगी:

बशर्ते कि लेखांकन के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम उत्पाद की बड़े पैमाने पर सही माप पाने के लिए 24 घंटे से अधिक के घनत्व से सही किया जाना चाहिए।

(2) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्द और भाव, परंतु अधिनियम में या विनियम या इनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित अर्थ है, जैसा भी मामला हो, क्रमशः अधिनियम में या नियमों या विनियमों में दिए गए के अनुसार होंगे।

3. **प्रयोज्यता.—** ये विनियम उन सभी कंपनियों पर लागू होंगें जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन कर रही हैं या किए जाने का इरादा रखती हैं तथा वे शिपर जो कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के ट्रांस्पोर्टेशन में संलिप्त हैं या संलिप्त होने का इरादा रखते हैं।

4. **क्षमता की घोषणा**

(1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ट्रोलियम उत्पाद पेट्रोलियम और पे (पाइपलाइन क्षमता निर्धारण) विनियम, 2010 के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) ट्रांस्पोर्टर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली के खण्ड, प्रवेश व निकासी स्थल क्षमता प्रणाली खण्ड क्षमता और उपलब्ध क्षमता की घोषणा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तथा नियमित तौर पर प्रत्येक माह की पहली तारीख को अपनी वेबसाइट पर डालेगा तथा इसकी सूचना को बोर्ड को भेजेगा जिसे वह अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत ट्रांस्पोर्टर के लिए घोषित उपलब्ध क्षमता सामान्य वाहक या संविदा वाहक के आधार पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगी या दोनों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी तथा इसे विनियम 13 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आबंटित किया जाएगा।

5. **पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद मापदण्ड**

(1) ट्रांस्पोर्ट किए जाने वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद निम्नलिखित उत्पाद विनिर्देशों के अनुसार होंगे:

(क) मोटर स्पिरिट (एमएस) – भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम संस्करण (बीआईएस)- मानक आईएस 2796 के अनुसार;

(ख) उच्च गति डीज़ल (एचएसडी) – भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम संस्करण (बीआईएस) -आईएस 1460 के अनुसार;

(ग) सुपीरियर केरोसीन तेल (एसकेओ) – भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम संस्करण (बीआईएस)-आईएस 1459 के अनुसार;

(घ) नैफ्था – उद्योग गुणता नियंत्रण मैनुअल के नवीनतम संस्करण (आईक्यूसीएम) के अनुसार

(ङ) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) – भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम संस्करण (बीआईएस)- आईएस 4576 के अनुसार; तथा

(च) एविएशन टर्बाईन फ्यूल (एटीएफ) – भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम संस्करण (बीआईएस)-आईएस 1571 के अनुसार।

नोट: उपरोक्त दर्शाए गए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्देश, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के निकास बिंदुओं पर लागू होंगे। प्रवेश बिंदुओं के विनिर्देश भंडारण / पारगमन के दौरान गिरावट के लिए क्षतिपूर्ति सहित होंगें।

(2) प्राधिकृत कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ग्रेड बैंड तैयार करेगी और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाए जाने वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखेगी, नामत:-

(क) प्रस्तावित ट्रांस्पोर्ट किए जाने हेतु पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अपना ग्रेड;

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पुष्टि अनुबंधित क्षमता का ग्रेड;

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन पर डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता की आवश्यकताएं;

(घ) पाइपलाइन प्रणाली की तकनीकी आवश्यकताएं; और

IndiaCode

(डं.) या तो पाइपलाइन प्रणाली में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का अथवा इस पाइपलाइन प्रणाली से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को प्राप्त करने का अंतरराज्यीय पाइपलाइनों का ग्रेड।

(3) ट्रांस्पोर्टर बोर्ड को अवगत कराते हुए विनियम 4 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनुसार जैसा कि अनुसूची II में प्रपत्र उपलब्ध करवाया गया है बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाने की एक माह की अवधि में अपनी वेबसाइट पर ग्रेड बैंड प्रकाशित करेगा:

बशर्ते कि कंपनियां इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व ग्रेड बैंड इन विनियमों के प्रकाशन की एक माह की अवधि में प्रकाशित करेगी।

(4) उप-विनियम (2) में संदर्भित ग्रेड बैंड गैर-भेदभाव के आधार पर सभी शिपर्स पर लागू होंगे।

(5) ट्रांस्पोर्टर समय-समय पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ग्रेड बैंड की समीक्षा कर सकते हैं, उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल (आईक्यूसीएम)/ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो, तदनुसार ग्रेड बैंड के विवरण को अद्यतन करेगा और अपनी वेब साइट पर डालेगा।

बशर्ते इसके आगे जब कभी इस तरह के अपडेशन ट्रांस्पोर्टर द्वारा किए जाते है और अपनी वेब साइट पर डालता है, ट्रांस्पोर्टर बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा।

(6) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में तत्वों के लिए एक सीमा अर्थात्त विशिष्ट गुरुत्व, चिपचिपाहट, वाष्प दबाव, अनुमेय संदूषण स्तर के रूप में द्वितीय अनुसूची में दी जाएगी।

(7) ट्रांस्पोर्टर दबाव और तापमान की स्वीकार्य श्रेणी को दर्शाते हुए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के हाइड्रोलिक्स के अनुसार प्रवेश स्थलों पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मानदण्डों को परिभाषित करेगा और उसे ट्रांस्पोर्टर की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न उत्पादों, अनुमानित ट्रांस्मिक्स उत्पत्ति और पाइपलाइन हानि भत्ता आदि के लिए न्यूनतम आवश्यक बैच का आकार भी ट्रांसपोर्टर की वेबसाइट पर डाला जाएगा साथ ही यह "पहुँच व्यवस्था" का हिस्सा बन जाएगा।

(8) शिपर उप-विनियम (3) और अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सभी मानदण्डों के अनुरुप पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करेगा तथा ट्रांस्पोर्टर द्वारा उपरोक्त उप-विनियम (3) के तहत विनिर्दिष्ट तथा ट्रांस्पोर्टर द्वारा प्रकाशित के मानदण्डों के अनुरुप निकासी स्थल पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सुपुर्दगी करेगा।

6. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की स्वीकृति

(1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वीकार किया जाएगा-

(क) अनुसूची II में और विनियम 5 के उप-विनियम (3) के तहत केवल ट्रांस्पोर्टर द्वारा प्रकाशित आवश्यक गुणवत्ता व विनिर्देशों के तहत प्रकाशित से यदि मेल खाते हैं;

(ख) केवल जब उत्पाद किसी भी पानी, गैर-हाइड्रोकार्बन सम्मिश्रण तत्वों और अन्य दोषों से मुक्त है;

(ग) एडिटिव्स, अवरोधक, खींचाव न्यून करने वाले एजेंट (डीआरए) और जंगरोधी मिश्रण यदि, केवल शिपर के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में मिलाया जाता है तो शिपर द्वारा स्वीकार्य होगा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें कि एडिटिव्स इंजेक्ट किया जाने वाला अवरोधक (सामान्य या व्यापारिक नाम) की अधिकतम मात्रा में किसी प्रकार के बदलाव पर शिपर को 30 दिनों का नोटिस दिया जाएगा;

(घ) केवल तब जबकि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शिपर द्वारा सुपुर्द किए जाते हैं या शिपर और ट्रांस्पोर्टर की परस्पर सहमति पर ट्रांस्पोर्टर का शिपमेंट कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए यदि उक्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शिपर द्वारा कार्यक्रम के अनुसार समय पर सुपुर्दगी नहीं की जाती है, उक्त शिपमेंट को बाई पास करने निरस्त करने या बिलम्बित करने का अधिकार ट्रांस्पोर्टर के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। वांछित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद प्रवेश स्थल पर शिपमेंट के लिए, निर्धारित कार्यक्रम से 24 घंटे पूर्व प्रवेश स्थल पर उपलब्ध करवाने का अधिकार ट्रांस्पोर्टर के पास सुरक्षित है;

(डं.) शिपर के अपने टैंकेज/भंडारण हैं केवल तभी उस मामले में यदि शिपर निकासी स्थल पर टैंकेज/भंडारण अपेक्षित सुपुर्दगी समय पर निकासी स्थल पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन देता है।

(2) ट्रांस्पोर्टर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की विशिष्टताओं के लिए किसी भी बैच का प्राप्ति पर स्वीकारोक्ति से पूर्व अथवा प्राप्ति के दौरान नमूना और/या परीक्षण कर सकता है, तथा शिपर के गुणवत्ता प्रमाणन और ट्रांस्पोर्टर के परीक्षण के बीच विसंगति की दशा में ट्रांस्पोर्टर का परीक्षण मान्य होगा।

(3) परीक्षण के परिणाम में किसी भी विवाद के मामले में, परीक्षण या प्रमाणीकरण परस्पर सहमति पर एक मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष द्वारा किया जाएगा।

(4) ट्रांसपोर्टर की परीक्षण में गलती के किसी भी मामले में, होने वाले व्यय ट्रांसपोर्टर द्वारा और परीक्षण में कोई गलती नहीं पाए जाने पर व्यय शिपर द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ट्रांसपोर्टर की स्वीकृति और सुपुर्दगी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए शिपर द्वारा प्रदान की इस तरह की सुविधा या शिपर के कर्मियों की सामर्थ्य इस प्रकार की सुविधाओं की पर्याप्तता ट्रांसपोर्टर के अनुमोदन का साक्ष्य नहीं होगी; इस प्रकार की सुविधा और कार्मियों के लिए जिम्मेदार अनन्य रुप से शिपर ही होगा।

(6) ट्रांस्पोर्टर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु शिपर के प्रतिनिधित्व की प्रत्याशा में निकास स्थल पर स्वीकार कर लेने पर और परस्पर सहमत समयावधि में यदि उक्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को निकास स्थल पर स्वीकार करने में विफल रहने की दशा में, पहुंच व्यवस्था के अनुसार पाइपलाइन क्लियर करने हेतु यथोचित उपाय, पाइपलाइन की लेवी सहित पाइपलाइन निष्क्रिय प्रभार के लिए ट्रांस्पोर्टर को अधिकार होगा कि वह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों अपवर्तित पुन: परेषण या निपटान की जो भी व्यवस्था करना चाहे कर सकता है।

(7) ट्रांस्पोर्टर को परिवहन हेतु सौंपा गया कोई भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें कि मुकदमेबाजी निहित या विवाद ग्रस्त हो सकती है अथवा किसी प्रकार से धारणाधिकार भार ग्रस्त हो को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। पहुंच व्यवस्था के अनुसार ट्रांस्पोर्टर शिपर के किसी भी नुकसान के विरुध्द संतोषजनक साक्ष्य सटिक सही और भार रहित तथा संतोषजनक बॉन्ड क्षतिपूर्ति के लिए पेश कर सकेगा।

7. ट्रांस्मिक्स और ट्रांस्मिक्स हैंडलिंग

(1) जहां कहीं भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर द्वारा इंटरफेस अवशोषित किया जा रहा है, उपयुक्त प्रावधान विधिवत शिपर और ट्रांसपोर्टर के बीच पहुँच व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

(2) जहां कहीं इंटरफेस अवशोषण संभव नहीं है, दो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के बीच ट्रांस्मिक्स उत्पन्न बहु-उत्पाद पाइपलाइन के मामले में ट्रांस्पोर्टर स्वामित्व में एक अलग टैंक में भंडारित किया जाएगा, जहां पर कि यह अन्य ट्रांस्मिक्स के साथ मिश्रित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक शिपर जिसने कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन ख़ण्ड में भेज दिया है, ट्रांसपोर्टर ट्रांस्मिक्स की मात्रा प्रत्येक शिपर द्वारा परिवहन किए गए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद मात्रा में पाइपलाइन खण्ड पर आबंटित करेगा।

(4) ट्रांसपोर्टर भौतिक रुप से शिपर को ट्रांस्मिक्स वितरित करेंगे जैसे ही आश्वस्त करने के लिए उपलब्ध हो जाता है, समय के साथ-साथ प्रत्येक शिपर अपनी आनुपातिक हिस्सेदारी प्राप्त करता है।

(5) शिपर पारस्परिक रूप से सहमत समय के भीतर ट्रांस्मिक्स शेयर वृध्दि सुनिश्चित कर शिपर को उपलब्ध करवाएगा।

(6) आपसी सहमति के भीतर अपने आबंटित ट्रांस्मिक्स के स्वभाव के लिए शिपर का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा।

(7) शिपर को दी गई ट्रांस्मिक्स की मात्रा, शिपर को सुपुर्द पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद का हिसा होगी और निकास स्थल पर शिपर को उत्पाद की कुल सुपुर्दगी में गणना की जाएगी।

(8) पहुंच व्यवस्था विस्तृत भाग के रुप में पारस्परिक सहमति का आधार उपयुक्त तकनीकी-वाणिज्यिक प्रावधान के अनुसार ट्रांस्पोर्टर ट्रांस्मिक्स की मात्रा वृध्दि करने के लिए सहमत हो सकता है।

8. विलंब शुल्क

(1) यदि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद ट्रांस्पोर्टर के स्वामित्व वाले टैंक में सुपुर्दगी हो रही है तो, ट्रांस्पोर्टर को पहुंच व्यवस्था के अनुरुप पारस्परिक सहमति से समय के भीतर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को टैंक से रिक्त करने के लिए शिपर को सलाह देने का अधिकार होगा।

(2) ट्रांस्मिक्स सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को उप-विनियम (1) में प्रदान की गई समयावधि में नहीं हटाता है तो दैनिक विलम्ब प्रभार लगेगा जैसा कि पहुंच व्यवस्था में उल्लेख किया गया है। जब तक कि शिपर उत्पाद ट्रांस्मिक्स सहित ट्रांस्पोर्टर के टैंक से नहीं हटाता है तब तक विलंब शुल्क जारी रहेगा।

(3) मध्यवर्ती / अतिरिक्त भंडारण के लिए शिपर द्वारा यदि कोई, तृतीय पक्ष समझौता होता हैं तो वह पहुंच व्यवस्था का हिस्सा नही होगा।

9. पाइपलाइन परिवहन हानि

(1) ट्रांसपोर्टर सभी प्राप्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रत्येक शिपर का लेखा रखेगा। दबाव, वाष्पीकरण, नमूने, भंडारण और माप त्रुटि आदि के कारण घटित पाइपलाइन परिवहन हानि शिपर के खाते में होगी। इसकी परिवहन के प्रत्येक बैच के लिए गणना की जाएगी और प्रवेश व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक शिपर के खाते में समायोजित या व्यवस्थित किया जाएगा:

बशर्ते कि पाइपलाइन परिवहन उत्पाद हानि का निर्धारण वार्षिक आधार पर पाइपालाइन में परिवहन किए गए की सीमा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मात्रा का 0.015% निर्धारित या वास्तविक तक जो भी कम हो तक सीमित होगा।

(2) सभी अन्य उत्पाद हानियां ट्रांसपोर्टर की लापरवाही के परिणाम स्वरुप नहीं हों तो शिपर के खाते में जाएगी। हालांकि, चोरी की वजह से उत्पन्न उत्पाद हानि का लेखांकन पहुंच व्यवस्था में विनिर्दिष्ट परस्पर सहमति के नियम और शर्तों के अनुसार होगा।

10. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का मापन और लेखांकन

(1) ट्रांस्पोर्टर वांछित बुनियादि ढांचा व प्रवेश एवं निकासी स्थलों पर, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा, संरचना, ग्रेड, दबाव और तापमान को मापने के लिए व्यवस्थाओं सहित आवश्यक उपकरण का प्रावधान सुनिश्चित करेगा, जैसा कि पेट्रोलियम माप मानकों के लिए विनियम 12 एवं एपीआई मैनुअल में विनिर्दिष्ट है।

(2) पेट्रोलियम उत्पादों की संरचना को मापने की व्यवस्था और बुनियादि ढांचे सहित आवश्यक उपकरण का प्रावधान और ग्रेड एवं बड़ी मात्रा (उदाहरणार्थ: एलपीजी) की परिरक्षा हस्तांतरण के मामलों में अनिवार्य होगा।

(3) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा का मापन उप-विनियम (1) के अनुसार या तो शिपर के उत्पाद में प्रवाह को मापने के उपकरणों के उपयोग द्वारा या ट्रांस्पोर्टर के टैंकेज में ट्रांस्पोर्टर के परिसर के अंदर पहुंच व्यवस्था के अनुसार रखा गया हो तो प्रासंगिक टैंक की गहराई की माप का होगा। पहुंच व्यवस्था के अनुसार शिपर के व्यय पर एक तृतीय पक्ष के सर्वेक्षक की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

(4) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पैरामीटर की माप ग्रेड उप-विनियम (1) और उप-विनियम (3) में निहित सभी निकासी स्थलों पर अन्य संविदात्मक प्रयोजनों से बिलिंग के लिए पर्याप्त होगा।

(5) कुल त्रुटि सीमा, सटीकता और उपकरण मापन का दायित्व तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का होगा।

(6) सत्यापन, अंशांकन या मापने के उपकरण की प्रमाणिकता ट्रांसपोर्टर, प्रासंगिक कोड और मानक सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार करेंगे।

(7) शिपर एक पूर्व शर्त के साथ चेक मीटर स्थापित कर सकता है ताकि ट्रांसपोर्टर के मापन उपकरण द्वारा अभिरक्षा हस्तांतरण प्रयोजन के लिए अपेक्षित बिंदु पर हस्तक्षेप न हो।

(8) मीटरिंग के किसी विवाद की स्थिति में, मीटर की शुध्दता या प्रमाणिकरण पारस्परिक सहमति पर मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष द्वारा किया जाएगा।

(9) ट्रांसपोर्टर के मीटर में किसी भी दोष के मामले में, इसका व्यय ट्रांसपोर्टर द्वारा वहन किया जाएगा और मीटर में दोष नही पाया जाता है तो शिपर द्वारा व्यय वहन किया जाएगा।

(10) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का लेखा दैनिक आधार पर या परस्पर सहमति बिलिंग चक्र भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क विभाग की शर्तों के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मिलान,बिलिंग और अन्य शर्तें जैसा कि ट्रांसपोर्टर और शिपर के बीच लिए गए निर्णय और पहुंच व्यवस्था के अनुसार होगी।

11. प्रवेश स्थल और निकासी स्थल पर बाध्यकारिताएं

(1) प्रवेश स्थल पर, शिपर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन हेतु पेशकश के लिए परस्पर सहमति पर मान्यता प्राप्त पक्ष की ओर से प्रमाणित प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि शिपर द्वारा प्रवेश स्थल पर की गई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की सुपुर्दगी ग्रेड बैंड और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के अन्य तत्वों के प्रारंभिक स्तर के संबंध में विनियम 5 के उप -विनियम (3) और अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा नही करती, तो ट्रांस्पोर्टर-

(क) इसे स्वीकार करने से मना कर सकता है और ऐसे मामलों में पहुंच व्यवस्था के अनुसार शिपर ट्रांस्पोर्टर को परिसमापन हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा; या

(ख) ऐसे किसी भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को स्वीकार कर सकता है जो कि मापदण्डों के मामलों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा न करता हो-

(i) जैसा कि अनुसूची II में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि ट्रांस्पोर्टर पाइपलाइन को साफ करने या उसकी संपूर्ण आवश्यक्ता के लिए और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन विशिष्टियों के अनुरुप उन्नत बनाने के लिए परस्पर सहमति के अनुसार शिपर से उचित सेवा लागत ले सकता है;

आगे इस शर्त पर कि उक्त ग्रेड का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद का निकास स्थलों पर विध्यमान शिपर द्वारा प्रतिबध्द गुणवत्ता विशिष्टियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) विनियम 5 के उप-विनियम (3) में जैसा कि निर्दिष्ट है;

बशर्ते कि ट्रांस्पोर्टर उक्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन और इस प्रणाली में क्षमता समायोजन के लिए शिपर से उचित सेवा लागत चार्ज कर सकता है;

आगे इस शर्त पर कि ऐसे ग्रेड के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का निकासी स्थलों पर ट्रांस्पोर्टर द्वारा विध्यमान शिपर की प्रतिबध्द गुणवत्ता विशिष्टियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) यदि निकासी स्थल पर जब ट्रांस्पोर्टर द्वारा सुपुर्द पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद विनियम 5 के उप-विनियम (8) में विनिर्दिष्ट अनुसार गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं तो शिपर –

(क) इसकी सुपुर्दगी स्वीकार करने से मना करता है और ऐसे मामलों में पहुंच व्यवस्था के अनुसार शिपर ट्रांस्पोर्टर को परिसमापन हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा; या

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद स्वीकार की जाती है तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए अतिरिक्त सुविधाओं या उन्नयन के उपचार हेतु पारस्परिक सहमति के अनुसार शिपर ट्रांस्पोर्टर से सेवा की उचित लागत चार्ज कर सकता है।

(4) पाइपलाइन परिवहन के दौरान विभिन्न उत्पादों के बैचों के बीच ट्रांस्मिक्स उत्पन्न होता है और अवशोषित होता है वह विनियम 7 के उप-विनियम (1) से (7) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी कंपनी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के तहत या नियत दिन से पहले केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत है, तकनीकी-आर्थिक आधार पर नए प्रवेश और निकास बिंदु जोड़ सकते हैं और किसी भी मौजूदा प्रवेश और निकास बिंदु को त्याग सकते हैं बशर्ते कि मौजूदा उपभोक्ताओं या शिपर, पाइपलाइन कंपनी के प्रतिकूल निर्णय से प्रभावित न हों।

12. प्रवेश स्थल और निकासी स्थल पर सुविधाएं

(1) शिपर ट्रांस्पोर्टर की पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन या भंडारण सुविधाओं के प्रवेश बिंदु पर पहुँच व्यवस्था के अनुरुप शिपर सुपुर्दगी व्यवस्था करेगा और अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेगा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की अभिरक्षा, हस्तांतरण और सुपुर्दगी हेतु जब तक कि अन्यथा ट्रांस्पोर्टर व शिपर के बीच सहमति व्यक्त न हुई हो।

(2) ट्रांस्पोर्टर शिपर के खर्च पर प्रवेश स्थल पर शिपर की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(3) शिपर या उसका प्राधिकृत नामिती अपने खर्च और जोखिम पर प्रवेश स्थलों के अपस्ट्रीम पर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, प्रचालन और रखरखाव की अपनी व्यवस्था करेगा जब तक कि ट्रांस्पोर्टर द्वारा सुविधाएं एक पृथक संविदा के अंतर्गत उपलब्ध न कराई जाएं।

(4) ट्रांस्पोर्टर शिपर को अभिरक्षा के हस्तांतरण और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सुपुर्दगी के लिए प्रवेश स्थल पर माप उपकरणों सहित सुविधा उपलब्ध कराएगा और सुविधाओं का प्रचालन करेगा। शिपर की आवशयकता पर पारस्परिक सहमत शर्तों के आधार पर निकास बिंदु पर ट्रांस्पोर्टर भंडारण की सुविधाओं की भी पेशकश कर सकते हैं।

(5) ट्रांस्पोर्टर शिपर के खर्च पर निकास स्थल पर शिपर की सुविधा के साथ ट्रांस्पोर्टर की सुविधा में सामंजस्य स्थापित करेगा।

(6) शिपर स्थल उपलब्ध कराएगा और किसी विशिष्ट निकासी स्थल सुविधाओं की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव और सुधार करने में ट्रांस्पोर्टर के साथ सहयोग करेगा जब शिपर के परिसर में ऐसी निकासी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(7) शिपर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों में सुपुर्दगी स्थल पर विध्यमान मानक और विशिष्टियों के अनुरुप जांच मीटर उपलब्ध कराएगा:

बशर्ते कि ट्रांस्पोर्टर और शिपर के मीटर में रिडिंग में कोई अंतर पाए जाने की स्थिति में ट्रांस्पोर्टर के मीटर की रिडिंग को अंतिम माना जाएगा।

(8) मीटर की रिडिंग में कोई विवाद होने पर मीटर की जांच और प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार किसी प्राधिकृत तृतीय पक्ष द्वारा पारस्परिक सहमति पर की जाएगी।

(9) ट्रांस्पोर्टर के मीटर में कोई खराबी पाए जाने पर, उसके खर्च को ट्रांस्पोर्टर द्वारा वहन किया जाएगा और यदि मीटर में कोई खराबी नहीं पाई जाती है, तो खर्च शिपर द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **पाइपलाइन क्षमता बुकिंग.**

(1) एक से अधिक शिपर प्रवेश या निकासी स्थल पर क्षमता बनाए रख सकते हैं।

(2) बुक की गई क्षमता एमडीक्यू के रुप में पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत शिपर और ट्रांस्पोर्टर के बीच एक निविदा के माध्यम से निर्धारित होगी।

(3) जब एक ट्रांस्पोर्टर शिपर से पहुंच प्राप्ति हेतु अनुरोध प्राप्त करता है तो शिपर से अनुरोध प्राप्त होने के तारीख से 10 दिनों के अंदर उत्तर देगा-

(क) पुष्टि करनी चाहिए कि अतिरिक्त क्षमता, अनुरोध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और वह उन प्रभारों एवं निबंधन तथा शर्तों का उल्लेख करेगा जिन पर कि वह इन्हें उपलब्ध होगा; या

(ख) यह सलाह देगा कि अनुरोध को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं है; या

(ग) यह सलाह देगा कि शिपर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता है ताकि उनके अनुरोध को पूरा किया जा सके और ऐसा अध्ययन सात दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा; अथवा

(घ) यह सलाह देगा कि पहुंच उपलब्ध कराना तकनीकी या प्रचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

(4) ट्रांस्पोर्टर को सूचित करते हुए शिपर बुक की गई क्षमता के अनुसार अन्य शिपर के पक्ष में क्षमता बुक्ड सीमा तक रिलीज कर सकता है।

(5) परिवहन के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के नामांकन में शिपर और ट्रांस्पोर्टर के बीच अनुसूची पर हुई सहमति के अनुसार दैनिक-नामांकित मात्राओं के आधार पर एक दिन या अधिक दिनों का ब्यौरा शामिल होगा।

14. **सामान्य वाहक और संविदा वाहक के बीच इंटर कनेक्शन तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें**

(1) दो सामान्य वाहकों के बीच परस्पर संबंध या संविदा वाहक पाइपलाइन प्रणालियों की या तो ट्रांस्पोर्टर या शिपर को आवश्यकता होगी तथा ऐसे इंटर कनेक्शन की तब ही अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि सामान्य प्राप्ति वाहक पाइपलाइन में क्षमता उपलब्ध हो और जब यह प्रचालन तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो।

(2) पाइपलाइनों को परस्पर जोड़ने पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की विशिष्टियां विनियम 5 के संगत अनुसार होनी चाहिए।

(3) बुनियादि ढांचे सहित पहुंच की सुविधार्थ इस तरह के इंटर कनेक्शन की लागत उस कंपनी द्वारा वहन की जाएगी जिसने कि उक्त इंटर कनेक्शन की आवश्यकता शुरु की थी बशर्ते कि इसे ट्रांस्पोर्टर द्वारा सम्पादित किया गया हो।

(4) इंटर कनेक्शन सुविधाएं भी उस शिपर द्वारा स्थापित करवाई जाएंगी और ऐसे इंटर कनेक्शन के लिए ट्रांस्पोर्टर सुविधा दे सकता है।

(5) इंटर कनेक्शन स्थल पर ट्रांस्पोर्टर और शिपर के बीच परस्पर सहमति बनाई जाएगी।

(6) पाइपलाइन नेटवर्क का इंटर कनेक्शन मौजुदा पाइपलाइन में निकास स्थल को जोड़ने जैसा है और ऐसे इंटर कनेक्शन के लिए ऐसे सभी प्रावधान लागू होंगे।

(7) जो कंपनी इंटर कनेक्शन का अनुरोध अस्वीकार करती है तो एक सप्ताह के अंदर बोर्ड को सूचित करेगी।

15. पहुंच उपलब्ध कराने की पध्दति

(1) शिपर और ट्रांस्पोर्टर के बीच अनुबंधित क्षमता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण,प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, के उप-विनियम 5(6)(i) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिध्दांत) विनियम, 2012, के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(2) किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा खुली पहुंच भेद-भाव रहित आधार पर सामान्य वाहक के रुप में उपयोगार्थ अतिरिक्त क्षमता का आबंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

16. नियोजित रखरखाव

(1) ट्रांस्पोर्टर को समय रहते एक निश्चित समयावधि के लिए रखरखाव योजना तैयार और प्रकाशित करनी होगी जिसमें उन प्रवेश और निकासी स्थलों का उल्लेख किया जाएगा जहां पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रवाह रखरखाव कार्य, प्रतिबंध की सीमा और समय की बारम्बारता सीमित होगी ताकि प्रभावित पार्टियों को मुश्किल कम से कम हो तथा ऐसी रखरखाव अनुसूची हेतु ट्रांस्पोर्टर को सहायता देने के लिए प्रवेश और निकासी स्थलों पर उनके असितत्व के प्रवाह पर शिपर से सूचना का अनुरोध प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) अनुसूचित रखरखाव की तारीखों को अग्रिम रुप में सूचित किया जाना चाहिए जिसे कि प्रभावित शिपर को उसकी ओर से तीस दिनों के अग्रिम नोटिस पर समायोजित किया जा सकता है।

(3) नियोजित रखरखाव की अवधि एक वर्ष में दस दिनों से अधिक नही होगी परंतु किसी भी एक मामले में निरंतर पांच दिन प्रति घटना से अधिक नही होगी।

(4) ट्रांसपोर्टर और शिपर आगे परस्पर बनाई गई समय और अनुसूचित योजना रख-रखाव की समय सीमा पर सहमत हो सकते हैं बशर्ते कि शिपर की सुविधार्थ उप-विनियम (3) में ट्रांस्पोर्टर को रखरखाव योजना के लिए प्रदत समय सीमा प्रभावित नहीं करती है।

17. *अनिवार्य बाध्यता* के बारे में सूचना-

(1) प्रभावित पार्टी पर कोई *अनिवार्य बाध्यता* होने पर -

(क) प्रत्येक दूसरी पार्टी को अनिवार्य बाध्यता के घटित होने और उसकी प्रकृति के बारे में यथाशीघ्र सूचित करेगी तथा उसके संभावित अवधि तक बने रहने तथा उससे प्रभावित होने वाली पार्टी के कार्य-निष्पादन की बाध्यताओं का उचित रुप से आकलन किया जा सकता है; और

(ख) इसके बाद समय-समय पर प्रत्येक पार्टी को निम्नलिखित का उचित ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, अर्थात्त:

(i) खण्ड (क) के अंतर्गत अधिसूचित मामलों में हुई प्रगति;

(ii) *अनिवार्य बाध्यता* से निपटने या इसके प्रभाव और इसकी संगत बाध्यताओं के कार्य-निष्पादन को पुन:शुरु करने के लिए प्रभावित पक्ष द्वारा उठाए गए कदम।

(2) देयता होने पर कंपनियों को भुगतान की बाध्यता को छोड़कर अनिवार्य बाध्यता की स्थिति में उनकी संबंधित बाध्यताओं से छूट दी जाएगी।

18. प्रचालनात्मक योजना

(1) शिपर ट्रांस्पोर्टर को ऐसी मात्राओं, जिन्हें वह विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार दैनिक आधार पर पाइपलाइन प्रणाली से किसी विशिष्ट प्रवेश स्थल तथा विशिष्ट निकासी स्थल पर सुपुर्दगी करना चाहता है, का दैनिक, साप्ताहिक या मासिक नामांकन करेगा।

(2) (क) ट्रांस्पोर्टर पाइपलाइन प्रणाली में प्राप्त नामांकन और उपलब्ध क्षमता के आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्राओं की सूची बनाएगा।

IndiaCode

(ख) ट्रांसपोर्टर पेट्रोलियम की मात्रा के लिए नामांकन सूचीबद्ध कर सकता है, पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकतम बुक्ड क्षमता घोषित पाइपलाइन क्षमता से अधिकतम 10 प्रतिशत हो सकती है।

(3) (क) ट्रांस्पोर्टर उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत निर्धारित और अनुसूची प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न शिपर्स को पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा आबंटित करेगा।

(ख) शिपर को गंतव्य स्थल-वार (निकासी स्थल-वार) तैयार की गई अनुसूची के अनुसार आबंटन की सुपुर्दगी की जाएगी।

19. आपातकाल

आपातकाल की स्थिति में शिपर और ट्रांस्पोर्टर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को शिपर और ट्रांस्पोर्टर द्वारा परस्पर सहमत शर्तों पर पहुंच व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

20. सूचना की गोपनीयता

किसी कंपनी द्वारा इन विनियमों की आवश्यकता के संबंध में या इनके परिणामस्वरुप ट्रांस्पोर्टर, शिपर या अन्य किसी पार्टी को लिखित में या अन्यथा प्रस्तुत या सुपुर्द किए गए सभी दस्तावेज, सूचना, आंकड़े, प्रस्तुतियां और टिप्पणियों को गोपनीय माना और समझा जाएगा तथा दस्तावेजों सूचना, आंकड़ों, प्रस्तुतियों और टिप्पणियों को पूर्णत: या उसका कोई भाग या सभी का खुलासा नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी न्यायालय में कार्यवाहियों को छोड़कर उसके घटकों और प्रतियों के सभी स्वरुप शामिल होंगें।

21. विविध

(1) सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए पहुंच कोड के संबंध में समय-समय पर बोर्ड दिशा निर्देश जारी कर सकता है।

(2) इन विनियमों की व्याख्या पर यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा तय जाएगा।

अनुसूची- I

पाइपलाइन की क्षमता घोषित करने का प्रपत्र

(देखें विनियम 4(2))

1. कंपनी का नाम :
2. पाइप लाइन का नाम:
3. पाइपलाइन की क्षमता का विवरण (नीचे उध्दरित सारणी के अनुसार):

खण्ड का नाम	पीएनजीआरबी द्वारा अनुमोदित क्षमता		अवधि के लिए क्षमता का ब्रेक-अप (एमएमटी)				
	कुल सामान्य बाहक सहित (एमएमटी)	सामान्य बाहक (एमएमटी)	खुद की आवश्यकता	पुष्टि की गई कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अन्य कंपनियों के साथ अनुबंधित क्षमता		सामान्य वाहक एक वर्ष से कम की अवधि लिए अन्य कंपनियों के साथ अनुबंधित क्षमता	
				अनुबंधित	**उपलब्ध**	**अनुबंधित**	**उपलब्ध**

4. पाइपलाइन मार्ग पर प्रवेश स्थलों की संख्या:
5. प्रवेश स्थलों का स्थान:
6. निकासी स्थलों की संख्या:
7. निकासी स्थलों का स्थान:
8. तकनीकी मानदण्ड:

(क) प्रवेश स्थल पर प्रवेशिका दबाव:

(ख) प्रवेश स्थल पर ग्रेड बैंड:

(ग) तापमान:

(घ) अनुसूची-II के अनुसार अन्य तत्व:

9. ऐसी लम्बित अवधि के साथ-साथ सामान्य वाहक प्रयोगार्थ पाइपलाइन के लिए ट्रांस्पोर्टर के पास लंबित कोई मांग:

10. प्रवेश और निकासी स्थलों पर प्राथमिकता:

अनुसूची- II

(देखें विनियम 5(6),5(8)11(2)(ख)(i))

पेट्रोलियम उत्पाद की भौतिक विशेषताएं विशिष्टियां

(क) मोटर स्पिरिट के लिए (यूरो-IV)			**(ख) हाई स्पीड डिजल के लिए(यूरो-IV)**	
मापदण्ड	**सीमा**		**मापदण्ड**	**सीमा**
सलफर (अधिकतम पीपीएमडब्ल्यू)	नवीनतम आईएस: 2796 के अनुसार		घनत्व @ 15^0से, किलोग्रा./एम3	नवीनतम आईएस: 1460 के अनुसार
अनुसंधान ऑक्टेन संख्या (रोन) (न्यूनतम)			सल्फर, पीपीएम (अधिकतम)	
बेंजींन वॉल्यूम % (अधिकतम)			आसवन 95% रिकवरी ^{o}से. (अधिकतम)	
एरोमेटिक्स वॉल्यूम % (अधिकतम)			सिटेन संख्या (न्यूनतम)	
ऑलेफिंस वॉल्यूम % (अधिकतम)			पानी की मात्रा (% वाल्यूम द्वारा) (अधिकतम)	
मोटर ऑक्टेन संख्या (मॉन) (न्यूनतम)			पॉलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन (पीएएच) डब्ल्युटी (%)	
रीड वाष्प दबाव (आरवीपी) (केपीए) (अधिकतम)			अन्य कोई मापदण्ड (सीमाएं आई एस मानक के अनुसार)	
अन्य मापदण्ड (सीमाएं आईएस मानकों के अनुसार)				

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए			
उत्पाद	**विशिष्ट गुरुत्व (15°से. पर)**	**चिपचिपाहट (सीएसटी)**	**वाष्प दाबाव (किलोग्रा./वर्ग सेमि)**
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	नवीनतम आईएस:4576 के अनुसार		
सुपीरियर केरोसीन तेल (एसकेओ)	नवीनतम आईएस:1459 के अनुसार		
एविएशन टर्बाईन फ्यूल (एटीएफ)	नवीनतम आईएस:1571 के अनुसार		
नैफ्था	नवीनतम उद्योग गुणवता नियंत्रण मैनुअल के अनुसार (आईक्यूसीएम)		

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188(166)]

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2016

F. No. Infra/AC/PPPL/1/13.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural

IndiaCode

Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "access arrangement" means a contract document between the authorized entity and the shipper specifically defining terms and conditions for the access to the petroleum and petroleum products pipeline and placed on the web site of the authorized entity;

(b) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006";

(c) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;

(d) "batch" means a quantity of petroleum product of like specifications moved through the pipeline as an identifiable unit;

(e) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(f) "capacity":

i. "booked capacity" means maximum daily quantity (MDQ) of petroleum and petroleum products on any day to be delivered at an entry point or off taken at an exit point as per the access arrangement between the shipper and the transporter;

ii. "contracted capacity" means the petroleum and petroleum products quantity contracted for transportation through a pipeline system on daily, monthly or yearly basis;

(g) "custody transfer meter" means a device or a set of devices which measures the quantity of petroleum and petroleum products for transfer of custody from one entity to another;

(h) "dispute" means any conflict or difference arising between the entities under or in connection with these regulations or the access arrangement or with regard to specifications of the products;

(i) "entry point" means the point at which the petroleum and petroleum product delivered by shipper is injected into the petroleum and petroleum products pipeline;

(j) "exit point" means the point at which the petroleum and petroleum product is withdrawn from the petroleum products pipeline for delivery to the shipper as per the access arrangement;

(k) "grade" means the classification of petroleum and petroleum product according to its chemical composition and characteristics such as its Research Octane Number (RON), sulphur content, additive content, freezing point and the quantity or proportion thereof;

(l) "grade band" means the range of minimum and maximum acceptable composition, characteristics, quantity or proportion thereof for petroleum and petroleum product;

(m) "interface" means the mixture which occurs in normal pipeline operations between batches of petroleum products having different specifications;

(n) "transmix" means the product removed from the pipeline system between two separate product batches that cannot be blended with the first or second product;

(o) "maximum daily quantity" means the maximum volume of petroleum and petroleum products contracted, booked or scheduled for delivery in a particular day within twenty four hours of the day;

(p) "petroleum and petroleum products pipeline" means any pipeline including a branch or spur lines for transport of petroleum and petroleum products and includes all connected infrastructure such as pumps, metering units, storage facilities at originating, delivery, tap off points or terminal stations and the like connected to the common carriers or contract carriers including line balancing tanks and tankage required for unabsorbed interface, essential for operating a pipeline system but excluding pipelines, which are dedicated for supply of petroleum products to a specific consumer which are not for resale :

Provided that the transporter may own, hire, outsource or use on hospitability basis such connected facilities on non discriminatory basis.

Note: For the purpose of access, the facilities declared by the authorized entity for operating a petroleum and petroleum project pipeline system shall be considered as common carrier or contract carrier;

(q) "petroleum and petroleum products pipeline section" means a part of petroleum and petroleum products pipeline between an entry point and an exit point or between two exit points or between two entry points;

(r) "shipper" means an entity and also includes a consumer who intends to utilize the capacity in the pipeline for transmission of petroleum and petroleum products;

(s) "transportation loss" (TL) means the unaccounted quantity of petroleum and petroleum products resulting due to inaccuracy of custody meter, leakages or releases during regular operation and maintenance of the pipeline system but not occurring due to any third party damage;

(t) "transporter" means an entity authorized by the Board or authorized by the Central Government prior to the appointed date for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline;

(u) "unit of measurement" means unit for measurement of quantity of petroleum and petroleum products excluding LPG and shall be in kilo liter corrected as per American Society for Testing and Materials (ASTM) table 53B for density of the product at 15 degree Celsius and table 54B for volume to 15 degree Celsius or shall be Metric Tonne as the case may be. For LPG the "unit of measurement" shall be Metric Ton:

Provided that this measurement should be corrected by density over 24 hours to get the mass of petroleum product for the purpose of accounting.

(2) Words and expressions used in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Application.

These regulations shall apply to all entities operating or proposing to operate petroleum and petroleum products pipeline and shipper who engage or intend to engage in transportation service for petroleum and petroleum products pipeline.

4. Declaration of capacity.

(1) The capacity of a petroleum and petroleum products pipeline shall be as determined by the Board as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010.

(2) The transporter shall declare capacity for petroleum and petroleum products pipeline system including entry and exit point-wise section capacity, and available capacity and host the same on its web site on the 1st of every month in the prescribed manner as per format specified at Schedule-I and shall send the information to the Board and the same shall also be hosted by the Board on its website.

(3) The available capacity declared by the transporter under sub-regulation (2) shall be available for use on common carrier or contract carrier basis or both and shall be allocated in line with the provisions under regulation 13.

5. Petroleum and Petroleum Products parameters.

(1) The petroleum and petroleum products to be transported shall be in accordance with the following products specification:

(a) Motor Spirit (MS) - As per the latest version of Bureau of Indian Standards (BIS)- IS2796;

(b) High Speed Diesel (HSD) - As per the latest version of Bureau of Indian Standards (BIS)- IS1460;

(c) Superior Kerosene Oil (SKO) - As per the latest version of Bureau of Indian Standards (BIS)- IS1459;

(d) Naptha: As per the latest version of Industry Quality Control Manual (IQCM);

(e) Liquefied Petroleum Gas (LPG): As per the latest version of Bureau of Indian Standards (BIS)- IS4576; and

(f) Aviation Turbine Fuel (ATF): As per the latest version of Bureau of Indian Standards (BIS)-

IndiaCode

IS1571.

Note: Petroleum and Petroleum Products specifications as above shall be applicable at exit points of petroleum and petroleum products pipeline. Entry point specifications shall compensate for deterioration during storage or transit.

(2) The authorized entity shall formulate the grade band for the petroleum and petroleum products to be transported through petroleum and petroleum products pipeline keeping in view the following parameters, namely:-

(a) grade of its own petroleum and petroleum products proposed to be transported;

(b) grade of firmed up contracted capacity of petroleum and petroleum products;

(c) requirements of downstream consumers of petroleum and petroleum products on the pipeline;

(d) technical requirement of the pipe line system; and

(e) grade of the inter-state pipelines either supplying petroleum and petroleum products into the pipeline system or receiving petroleum and petroleum products from this pipeline system.

(3) The transporter shall publish grade band referred to in sub-regulation (2) on its website within a period of one month of authorization by the Board, as referred to in sub-regulation (2) of regulation 4, under intimation to the Board in the format as provided in Schedule-II:

Provided that the entities authorized before the publication of these regulations shall publish the grade band within a period of one month of the date of publication of these regulations.

(4) Grade band referred to in sub-regulation (2) shall be applicable to all shippers on non-discriminatory basis.

(5) The transporter may review the Grade band for petroleum and petroleum products from time to time taking into account changes, if any, in the Industry Quality Control Manual (IQCM) / Bureau of Indian Standards (BIS) and accordingly would update the grade band details on its web site:

Provided that transporter shall immediately inform the Board as and when such updation is carried out by the transporter besides putting the same on its web site.

(6) The threshold limits for elements in petroleum and petroleum products viz. specific gravity, viscosity, vapour pressure, permissible contamination level shall be as given in Schedule II.

(7) The transporter shall define the petroleum and petroleum products parameters at entry points in terms of petroleum and petroleum products hydraulics specifying the acceptable range of pressure and temperature and the same shall be hosted on the website of the transporter. In addition, minimum required batch size for different products, estimated transmix generation and pipeline loss allowance etc. shall also be hosted on the website of transporter as well as it will become part of "Access Arrangement".

(8) Shipper shall supply petroleum and petroleum products conforming to product specifications as published by the transporter under sub-regulation (3) and given in Schedule II and the transporter shall deliver petroleum and petroleum product at exit point conforming to product specifications as per sub-regulation (3).

6. Acceptance of Petroleum and Petroleum products.

(1) Petroleum and petroleum product shall be accepted by the transporter for transportation -

(a) only if it meets required quality and specifications as published by the transporter under sub-regulation (3) of regulation 5 and in Schedule II;

(b) only when product is free from any water, non-hydrocarbon blending elements and other impurities;

(c) only if any additives and inhibitors, including Drag Reducing Agent ("DRA") and corrosion inhibitor compound, to be included in shipper's petroleum products have been accepted by the shipper. Shippers will be given 30 days notice stating any changes in additive or inhibitor to be injected (generic and trade name), the maximum quantity, the petroleum and petroleum products into which it will be injected, and the date, the injection shall begin;

(d) only when petroleum and petroleum product are delivered by shipper or made available to the transporter at the time mutually agreed by shipper and transporter to meet transporter's shipment schedule. If such petroleum and petroleum products are not delivered by shipper in time to meet said schedule, transporter reserves the right to cancel, bypass or delay said shipment. Transporter reserves the right to require petroleum and petroleum product to be available for shipment at entry

point 24 hours prior to the time scheduled for shipment from entry point;

(e) only if the shipper assures the availability of tankage or storage at the exit point at expected delivery time in case the tankage or storage is owned by the shipper.

(2) Transporter may sample and test any batch for the specifications of petroleum and petroleum products received prior to acceptance or during receipt of batch, and, in the event of variance between shipper's Quality Certification and transporter's test, transporter's test shall prevail.

(3) In case of any dispute in test results, the testing or certification shall be carried out by an accredited third party as mutually agreed.

(4) In case of any fault in the test of transporter, the expenses on this account shall be borne by the transporter and in case no fault is found in the test, the expenses shall be borne by the shipper.

(5) Transporter's acceptance and delivery of petroleum and petroleum products to any facility provided by shipper shall not evidence transporter's approval of the adequacy of such facilities or the competency of shipper's personnel responsibility for such facilities and personnel shall be exclusively that of the shipper.

(6) In the event the transporter has accepted petroleum and petroleum products for transportation in reliance upon shipper's representations as to acceptance at exit points, and there is failure to accept such petroleum and petroleum products at exit points within mutually agreed time frame, transporter shall have the right to divert, re-consign or make whatever arrangements for disposal of the petroleum and petroleum products as it deems appropriate to clear the pipeline facilities including levy of pipeline idling charges as per the access arrangement.

(7) Transporter shall have the right to reject any petroleum and petroleum products offered for transportation which may be involved in litigation or the title of which may be in dispute, or which may be encumbered by a lien or charge of any kind. Transporter may seek the satisfactory evidence of shipper's perfect and unencumbered title and satisfactory bond indemnifying transporter against any losses as per the access arrangement.

7. Transmix and Transmix handling.

(1) Wherever interface is being absorbed by the transporter during the transportation of the petroleum and petroleum products, suitable provision shall be duly incorporated in the access arrangement between shipper and transporter.

(2) Wherever interface absorption is not feasible, transmix generated between two petroleum and petroleum products in case of multi-product pipeline will be stored in a separate tank owned by transporter, where it may mix with other transmix.

(3) Transporter shall allocate transmix to shippers that have shipped the petroleum and petroleum products on the pipeline section in proportion to each shipper's volume of petroleum and petroleum products transported in that pipeline section.

(4) Transporter will physically distribute transmix to the shippers as it becomes available to assure that over time each shipper receives its proportionate share.

(5) Shipper shall ensure to lift transmix share within mutually agreed time it is made available to shipper.

(6) Shipper will have sole responsibility for the disposition of its allocated transmix within mutually agreed period

(7) The quantity of transmix given to shipper will be part of the petroleum and petroleum products delivered to shipper and shall be accounted in total products delivered to shipper at exit points.

(8) Transporter may agree to lift transmix with suitable techno-commercial provisions mutually agreed and detailed as part of access arrangement.

8. Demurrage.

(1) If petroleum and petroleum products are delivered in transporter owned tank, then, transporter shall have the right to clear tankage for incoming deliveries by advising shipper to withdraw the petroleum and petroleum products within mutually agreed time as per the access arrangement.

(2) Petroleum and petroleum products including transmix, not removed at the time period provided in sub-regulation (1) is subject to a daily demurrage charge as mentioned in the access arrangement. Demurrage charge shall continue until the shipper's product including transmix has been removed from transporter's tank.

(3) Third party agreements, if any, by shipper for intermediate or additional storage shall not form part of

access arrangement.

9. Pipeline transportation loss.

(1) Transporter shall account to each shipper for all petroleum and petroleum products received. The pipeline transportation loss resulting from shrinkage, evaporation, sampling, dormant during storage and measurement error etc., which will be on shipper's account. This will be calculated for each batch of transportation and will be adjusted or settled to each shipper's account in accordance with access arrangement:

Provided that the pipeline transportation loss shall be limited to 0.015% of the total volume of the petroleum and petroleum products transported in the pipeline on annual basis or limit prescribed by Central Board of Excise and Customs, or the actual whichever be the lowest.

(2) All other product losses not resulting from the transporter's negligence will be on the account of the concerned shipper. However, accounting of product loss due to pilferage shall be as per mutually agreed terms and conditions specified in access arrangement.

10. Measurement and Accounting of petroleum and petroleum products.

(1) The transporter shall ensure provision of necessary equipment including requisite infrastructure and arrangements at both the entry and exit points to measure petroleum and petroleum products quantity, composition, grade, pressure and temperature as specified in regulation 12 and API Manual for Petroleum Measurement Standards.

(2) Provision of necessary equipment including infrastructure and arrangements to measure petroleum and petroleum products composition and grade shall be mandatory for cases of custody transfer in terms of mass(e.g. LPG).

(3) Measurement of petroleum and petroleum products quantity shall be as per sub-regulation (1) either by usage of flow measuring equipment or, in case shipper's product is placed in transporter's tankages inside the transporter's premises as per Access Arrangement, then, by measurement of relevant tank dips. Services of a third party surveyor shall be used at the cost of the shipper as per the Access Arrangement.

(4) Measurement of grade and petroleum and petroleum products parameter as provided in sub-regulations (1) and sub-regulation (3) shall be sufficient for billing and other contractual purposes for all exit points.

(5) Total error limit, accuracy and repeatability of the measuring equipment shall be as per the technical specifications of the Original Equipment Manufacturers (OEMs).

(6) The transporter shall carry out verification, calibration or proving of measuring equipment as per the relevant codes, standards and statutory requirements.

(7) The shipper may install check meters at requisite points with a pre-condition so as not to interfere with the measurement equipment installed by the transporter for custody transfer purpose.

(8) In case of any dispute in metering, the meter proving or certification shall be carried out by an accredited third party as mutually agreed.

(9) In case of any fault in the meter of transporter, the expenses on this account shall be borne by the transporter and in case no fault is found in the meter, the expenses shall be borne by the shipper.

(10) Petroleum and petroleum products accounting shall be done on daily basis or as per mutually agreed billing cycle and the stipulations of Central Excise and Customs department of Government of India and the petroleum and petroleum products reconciliation, billing and other terms shall be as decided between the transporter and shipper in accordance with access arrangement.

11. Obligations at entry point and exit point.

(1) At the entry point, shipper shall furnish certified laboratory reports of the petroleum and petroleum products offered for transportation from the accredited party as mutually agreed.

(2) At the entry point, when the shipper places the petroleum and petroleum products that does not meet the requirements as specified in sub-regulation (3) of regulation 5 and Schedule II, in respect of grade band and threshold level of other elements of petroleum and petroleum products, the transporter may-

(a) refuse to accept it and in such cases shipper shall be liable to pay liquidated damages to the transporter as per the access arrangement; or

(b) accept any petroleum and petroleum products that does not meet the requirements of petroleum and petroleum products in terms of parameters-

(i) as specified in Schedule II:

Provided that transporter may charge reasonable cost of service from the shipper, as may be mutually agreed, for any additional facilities or treatment for cleaning up or integrity requirements of the pipeline and to upgrade petroleum and petroleum products to pipeline specifications:

Provided further that such grade of petroleum and petroleum products do not adversely affect the existing shippers' quality specifications committed by the transporter at the exit points;

(ii) as specified in sub-regulation (3) of regulation 5:

Provided that the transporter may charge reasonable cost of service for the capacity adjustment from the shipper for transportation of such petroleum and petroleum products and for capacity constraints in the system:

Provided further that such grade of petroleum and petroleum products do not adversely affect the existing shippers' quality specifications committed by the transporter at the exit points.

(3) At the exit point, when the transporter delivers petroleum and petroleum products that does not meet the quality requirements as specified in sub-regulation (8) of regulation 5, the shipper may -

(a) refuse to accept delivery and in such a case the transporter shall be liable to pay liquidated damages to the shipper as per the access arrangement; or

(b) accept the petroleum and petroleum products provided that shipper may charge reasonable cost of service from the transporter, as may be mutually agreed, for any additional facilities or treatment to upgrade petroleum and petroleum products.

(4) The transmix generated and absorbed between batches of different products during the pipeline transportation will be as specified in the sub-regulation (1) to (7) of the regulation 7.

(5) Any entity authorized by the Board to lay, build, operate or expand a petroleum and petroleum products pipeline under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 or authorized to do so by the Central Government before the appointed day, can add new entry and exit point or abandon any existing entry and exit point on the pipeline on techno-economic considerations provided that the existing consumers or shippers on the pipeline are not adversely affected by the decision of the entity.

12. Facilities at entry point and exit point.

(1) Shipper shall arrange to deliver petroleum and petroleum products at entry point on the petroleum and petroleum products pipeline or storage facilities of the transporter as per the access arrangement and shall provide the requisite facilities, for custody transfer and delivery of petroleum and petroleum products to the transporter unless otherwise agreed to between shipper and transporter.

(2) Transporter may execute hooking up facility of shipper to the entry point at the cost of shipper.

(3) Shipper or his authorized nominee shall make their own arrangements to operate and maintain facilities upstream of entry points at his own cost and risk unless the facilities are provided by the transporter under a separate contract.

(4) The transporter shall own and operate facilities and measuring equipment at exit point for custody transfer and delivery of petroleum product to the shipper unless otherwise agreed to between shipper and transporter. The transporter may also offer storage facilities at the exit point in case the shipper requires on mutually agreed terms and conditions.

(5) The transporter may execute, at the cost of shipper, the facility of hooking up of shipper facility with that of transporter at exit point.

(6) The shipper shall provide space and cooperate with the transporter in installing, operating, maintaining and modifying any specific exit point facilities when such exit point facilities are provided in the premises of the shipper on mutually agreed terms and conditions.

(7) The shipper may provide check meter, conforming to the applicable standard and specifications, at the exit point in petroleum and petroleum products pipeline:

Provided that in case of any variation in the readings in the meter of transporter and shipper, the reading of the transporter meter shall be taken as final.

(8) In case of any dispute in metering, the meter proving or certification shall be carried out by an accredited third party as mutually agreed.

(9) In case of any fault in the meter of transporter, the expenses on this account shall be borne by the transporter and in case no fault is found in the meter, the expenses shall be borne by the shipper.

13. Pipeline capacity booking.

(1) More than one shipper can hold capacity at any entry or exit point.

(2) The booked capacity shall be through a contract between shipper and transporter under the access arrangement.

(3) When a transporter receives a request for access from a shipper it shall respond within ten days from the date of receipt of request from the shipper-

(a) confirming that spare capacity exists to satisfy the request and specifying the charges and terms and conditions upon which it will make the service available; or

(b) advising that spare capacity does not exist to satisfy the request; or

(c) advising that the data provided by the shipper require technical study to accommodate his request and such study shall be completed within seven days; or

(d) advising that it is not technically or operationally feasible to provide access.

(4) The shipper may release the capacity in favour of other shippers to the extent of the capacity booked under intimation to the transporter.

(5) The nomination of petroleum and petroleum products for transportation shall contain the expected petroleum and petroleum products flow details of one or more day's daily-nominated quantities as per the agreed schedule between the shipper and the transporter.

14. Interconnection of common carrier and contract carrier petroleum and petroleum products pipelines.

(1) The interconnection of common carrier and contract carrier pipeline systems may be necessitated by either a transporter or a shipper and such interconnection shall be allowed subject to capacity available in the receiving common carrier pipeline provided it is operationally and technically feasible.

(2) The petroleum and petroleum products specifications for interconnecting pipelines should be compatible and as per regulation 5.

(3) The cost of such interconnection including the infrastructure to facilitate access shall be borne by the entity that has triggered such requirement for interconnection provided it is executed by the transporter.

(4) The execution of the interconnection facilities may also be carried out by the shipper and transporter may facilitate such interconnection.

(5) The interconnection point shall be mutually agreed between transporter and the shipper.

(6) Interconnection of pipeline network is like adding an exit point to the existing pipeline and all such provisions shall be applicable for such interconnection.

(7) The entity denying the interconnection shall inform the Board within a week with the reasons thereof.

15. Methodology for providing access.

(1) The contracted capacity between shipper and transporter shall be in accordance to the provisions of sub-regulation 5 (6) (i) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 and regulation 6 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012.

(2) The extra capacity for use as common carrier by any third party on open access and non-discriminatory basis shall be allocated on first come first serve basis

16. Planned maintenance.

(1) The transporter is required to draw up and publish a maintenance plan well ahead of time for a defined period identifying those entry and exit points where petroleum and petroleum products flows may be restricted by maintenance works, the extent of the restrictions and the time of occurrence and the transporter shall plan such maintenance so as to minimize disruption to affected parties and can request information from shippers on their survival flows at entry and exit points to assist the transporter for such maintenance schedule.

(2) Dates for scheduled maintenance shall be informed well in advance which can be adjusted on thirty days advance notice to and from affected shippers.

(3) The planned maintenance period shall not exceed ten days in a year but in no case more than five continuous days per event.

(4) Transporter and shipper may further mutually agree upon the time and extent of the scheduled planned maintenance for the shipper's facilities not affecting the time limits provided for transporter's maintenance plan at sub-regulation (3).

17. Information about force majeure.

(1) The affected party shall on occurrence of any force majeure-

a) as soon as reasonably practicable notify each of the other parties of the occurrence and nature of the force majeure, the expected duration thereof insofar as the same can reasonably be assessed and the obligations of the affected party performance of which is affected thereby; and

b) from time to time thereafter provide to each other party reasonable details of the following, namely:

(i) developments in the matters notified under clause (a);

(ii) the steps being taken by the affected party to overcome the force majeure occurrence or its effects and to resume performance of its relevant obligations.

(2) The entities shall be relieved of their respective obligations in the event of force majeure except for the obligation to pay when due.

18. Operational planning.

(1) Shipper shall make daily, weekly or monthly nominations to the transporter for the quantities of petroleum and petroleum products that it wishes to deliver to at a particular entry point and off-take at a particular exit point from the pipeline system in line with the provisions under these regulations.

(2) (a) Transporter shall schedule the quantities of petroleum and petroleum products for transportation based on the nominations received and capacity available in the pipeline system.

(b) Transporter may schedule the nomination for quantities of petroleum, and petroleum products over and above the booked capacity subject to a maximum of ten per cent of the declared pipeline capacity.

(3) (a) Transporter shall allocate quantity of petroleum and petroleum products to various shippers as determined under clause (b) of sub-regulation (2) and as per the scheduling exercise.

(b) Allocation scheduled shall be delivered to the shippers as per the destination wise (exit point wise) schedule prepared.

19. Emergencies.

The procedures to be followed by shipper and the transporter in the event of an emergency shall be included in the access arrangement by shipper and transporter on mutually agreed terms.

20. Confidentiality of information.

All documentation, information, data, submissions and comments disclosed or delivered whether in writing or otherwise by any entity to the transporter, shipper or to any other party either in connection with or in consequence of the requirements of these regulations shall be regarded and treated as confidential and shall not be disclosed either in full or part of any or all of the documentation, information, data, submissions and comments including the contents and copies thereof in any form except in connection with any proceedings in any court.

21. Miscellaneous.

(1) The Board may issue guidelines from time to time relating to Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Petroleum and Petroleum Products Pipelines.

(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

SCHEDULE – I

Format for declaring capacity of Pipeline

(See regulation 4(2))

1. Name of entity:
2. Name of pipeline:
3. Details of capacity of Pipeline (as per table below):

Name of Section	Capacity approved by PNGRB		Break up of capacity for period …….. (MMT)				
	Total Including Common carrier (MMT)	Common Carrier (MMT)	Own Requirement	Firmed-up contracted capacity with other entities for a period of at least one year		Common Carrier Capacity with other entities for a period of less than one year	
				Contracted	Available	Contracted	Available

4. Number of entry points on the pipeline route:
5. Location of entry points:
6. Number of exit points:
7. Location of exit points:
8. Technical parameters:
 (a) Inlet pressure at entry point:
 (b) Grade band at entry point:
 (c) Temperature:
 (d) Other elements as per Schedule - II:
9. Any demand pending with the transporter for common carrier usage of the pipeline along with duration of such pendency:
10. Preference on entry and exit points:

SCHEDULE – II

(See Regulations 5(6), 5(8), 11(2)(b)(i))

Petroleum Product Physical Characteristics Specifications

(A) For Motor Spirit (EURO-IV)			(B) For High Speed Diesel (EURO-IV)	
Parameter	Limit		Parameter	Limit
Sulphur (Maximum ppmw)	As per latest IS:2796		DENSITY @ 150C, KG/M3	As per latest IS:1460
Research Octane Number (RON) (Minimum)			SULPHUR, PPM (Maximum)	
Benzene, Vol % (Maximum)			DISTILLATION 95% Recovery oC (Maximum)	
Aromatics, Vol% (Maximum)			CETANE NO. (Minimum)	
Olefins, Vol%			WATER CONTENT (% by Vol)	

IndiaCode

(Maximum)			(Maximum)	
Motor Octane Number (MoN) (Minimum)			Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) wt (%)	
Reid Vapour Pressure (RVP) (kPa)(Maximum)			Any other parameter (limits as per IS standards)	
Any other parameter (limits as per IS standards)				

(C) For other Petroleum Products			
Products	Specific Gravity (at 15°C)	Viscosity (CST)	Vapour Pressure (Kg/sq.cm)
Liquefied Petroleum Gas (LPG)	As per latest IS:4576		
Superior Kerosene Oil (SKO)	As per latest IS:1459		
Aviation Turbine Fuel (ATF)	As per latest IS:1571		
NAPTHA	As per latest Industry Quality Control Manual (IQCM)		

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT.-III/4/Exty./188 (166)]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.